छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-07

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012

(अग्रहायण-30, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 15 एवं 17 से 21 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03, 05, 08, 10, 11, 13 एवं 16 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, रूद्रकुमार गुरू, अग्नि चंद्राकर, राजू सिंह ठाकुर, ब्रम्हानंद नेताम एवं अजीत जोगी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011, एवं

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार बालको चिमनी हादसे से संबंधित संदीप बख्शी न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 9 अगस्त, 2012 तथा जांच आयोग के प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट, **पटल पर रखा।**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संदीप बख्शी न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय सदस्यों को खानेदार आलमारी से वितरित की जा रही है एवं अनुलग्नक की प्रतियां विधान सभा के पुस्तकालय में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रखी गई है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 34 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से चयनित छात्रों का नामांकन नहीं किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने जिला गरियाबंद, विकासखंड मैनपुर में उल्टी-दस्त व मलेरिया से मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्रीमती सरोज मनहरण राठौर, सदस्य (अनुपस्थित)

(4) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर स्थित श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट में व्याप्त अनियमितता की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(5)	श्री नंद कुमार पटेल
(6)	श्री नंद कुमार पटेल
(7)	श्री मोहम्मद अकबर
(8)	श्री मोहम्मद अकबर
(9)	श्री मोहम्मद अकबर
(10)	श्री मोहम्मद अकबर
(11)	श्री देवजी पटेल
(13)	श्री रविन्द्र चौबे
(14)	श्री राजकमल सिंघानिया
(15)	डॉ.शिवकुमार डहरिया

(16) डॉ.शक्राजीत नायक

(17) डॉ.शक्राजीत नायक

(18) डॉ.शक्राजीत नायक

(19) डॉ.शक्राजीत नायक

(20) सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, फूलचंद सिंह

(21) श्री मोहम्मद अकबर

(22) श्री मोहम्मद अकबर

(23) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह

(24) श्री देवजी पटेल

(25) श्री ताम्रध्वज साहू

(26) श्री नंद कुमार पटेल

(27) डॉ.शक्राजीत नायक

(28) श्री ताम्रध्वज साहू

(29) श्री चैतराम साहू

(31) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री रविन्द्र चौबे

(32) श्री परेश बागबाहरा

(33) श्री राजकमल सिंघानिया

(34) श्री नंद कुमार पटेल

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री मोहम्मद अकबर

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्री अग्नि चन्द्राकर

(6) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

(2) श्री हृदयराम राठिया

(3) श्री बोधराम कंवर

(4) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री सेवकराम नेताम , सदस्य, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(3) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, ने प्रस्ताव किया कि - डॉ.अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

8. संकल्प

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी के भुगतान संबंधी प्रावधान से छत्तीसगढ़ प्रदेश को मुक्त रखा जाए ।"

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री फूलचंद सिंह, अमरजीत भगत, (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री लखमा कवासी, विरेन्द्र कुमार साहू, (डॉ.) शक्राजीत नायक, परेश बागबाहरा, डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने संकल्प के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

9. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने संकल्प पर शासन द्वारा उत्तर न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

10. संकल्प (क्रमशः)

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, देवजी पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं।)

श्री दीपक कुमार पटेल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 8 का कार्य पूर्ण होने इसके पश्चात् 2.30 घंटे अशासकीय कार्य सम्पन्न होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.शक्राजीत नायक, श्री ह्दय राम राठिया, विरेन्द्र कुमार साहू, भजन सिंह निरंकारी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री राजू सिंह ठाकुर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री परेश बागबाहरा, श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12. औचित्य का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कथन किया कि विधान सभा में भाषण पढ़ने की नई परंपरा कायम हो गई है। विधान सभा में यह व्यवस्था है कि लिखित भाषण पढ़ नहीं सकते। भाषण को पढ़ा हुआ मानकर प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस तरह की परंपरा न बने और इसे उदाहरण के रूप में न लागू किया जाये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सामान्यत:आप लोग प्वाइन्ट देख कर भाषण करते हैं लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में लगभग बातें आ गई थी इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह परंपरा नहीं है, लेकिन सामान्यत: तैयारी करके आयें और प्वाइन्ट देख कर भाषण दें।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 34 तथा अनुसूची एक एवं दो इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

14. नियम - 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्या, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर द्वारा सारंगढ़ के एस.डी.एम.श्रीमती रानू साहू (मौर्य) के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 3/11/2012 को विचारोपरांत मैंने प्रकरण को सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति को संदर्भित किया है।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं समाननीय सभी सदस्यगण। तृतीय विधानसभा का ग्यारहवाँ सत्र जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 से 21 दिसम्बर, 2012 के मध्य आहुत था, का आज अन्तिम दिवस है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि यह सदन छत्तीसगढ़ के समग्र विकास हेतु अपने नैतिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अत्यंत सौहाद्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।

परम्परा अनुसार इस सत्र के प्रथम दिवस श्री इन्द्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री विलासराव देशमुख केन्द्रीय मंत्री, श्री ताराचंद साहू लोक सभा एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री गणेश शंकर बाजपेयी अविभाजित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ. राकेश कुमार सिंह अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री चैतराम साहू अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री के.एस. सुदर्शन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक एवं श्री बाल केशव ठाकरे शिवसेना प्रमुख, के निधन पर सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उक्त दिवस की कार्यवाही स्थगित की गई।

यह सभा इस राज्य की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था है और आप सब पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने समस्त लोक हित के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए इस संस्था की गरिमा में अभिवृद्धि की है और जनप्रतिनिधि के नाते अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। इस हेतु मैं आप सबको बधाई देता हूँ।

इस 7 दिवसीय सत्र को मैं छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा के महत्वपूर्ण सत्रों में से एक मानता हूँ। क्योंकि इस सत्र ने छत्तीसगढ़ को खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 अधिनियमित करते हुए देश में ऐसा प्रथम राज्य होने की पहचान स्थापित की है, जहाँ आम आदमी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन को विधि के द्वारा उनका अधिकार होना और यह सरकार के दायित्वाधीन हो, सुनिश्चित किया है। सभा द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 को विचार-विमर्श के पश्चात पारण करने के लिए मैं सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को और आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूँ।

इस सत्र में पिछली कुछ अवधि से चर्चा के विषय रहे मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भी शासकीय संकल्प के रूप में आप सबने विस्तार से चर्चा की और केन्द्र शासन से जनहित में आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया । सभा में ज्वलंत विषयों पर ऐसी चर्चा से यह प्रतिपादित होता है कि आप सब केवल अपने प्रदेश के हित के चिंतक ही नहीं है अपितु राष्ट्रव्यापी विषयों पर भी न केवल चिंतन करते हैं एवं उसमें अपना योगदान भी देते हैं। मैं आप सबको इस हेतु बधाई देता हूँ ।

संसदीय कार्यों के साथ-साथ इस सत्र में एक-दो अवसरों पर राजनीतिक कार्यों की छाया भी परिलक्षित हुई और मैं समझता हूँ यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ठीक एक वर्ष के पश्चात् इस सभा का पुनर्गठन संभाव्य है । आप इस प्रदेश की दो करोड़ जनता के समक्ष अपने कार्यों का लेखा-जोखा लेकर जायेंगे किन्तु मैं आपको इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि सम्पूर्ण सत्र में आपने अपने संसदीय कार्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया ।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मंडल प्रदेश की समस्या पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एकमात्र स्थान होता है और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहे ।

इस सत्र में यह भी उल्लेखनीय है कि आप माननीय सदस्यों ने प्रत्येक वह विषय जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना, संकल्प, विकास से संबंध रखता है और जिस पर सदन में चर्चा आवश्यक रही हो उस प्रत्येक विषय को सदन में आपने रखा । सम-सामयिक अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागृत होने का प्रमाण है ।

इस सत्र के दौरान दिनांक 13/12/2012 को आप माननीय सदस्यों के राजनैतिक और संसदीय जीवन को और अधिक सफल और सक्षम बनाने क उद्देश्य से प्रजापिता ब्रम्हकुमारी शिवानी बहन एवं भ्राता सुरेश ओबेराय जी का प्रेरक व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप माननीय सदस्य उनके व्याख्यान से अवश्य रूप से लाभान्वित हुए होंगे । छत्तीसगढ़ विधान सभा में यह परंपरा रही है कि वह अपने माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के प्रति सदैव से गंभीर रही है इसी तारतम्य में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2012 को दो दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन राज्य के प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सा संस्थान एम.जी.एम.रायपुर के द्वारा किया गया।

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 1222 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधान सभा क्षेत्र के शेक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्रायें राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके ।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 11 दिवसों में 7 बैठकें सम्पादित हुई जिसमें 26 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में 847 प्रश्न प्राप्त हुये । इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 318 रहे । इनमें से 58 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 8 प्रश्न का रहा अर्थात प्रश्न काल का माननीय सदस्यों ने आवश्यक लाभ उठाया। प्रश्नकाल में हमेशा की तरह आप माननीय सदस्यों ने पूरी संजीदगी से विषय विशेष से संदर्भित प्रश्नों को सदन में रखा और शासन ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की शासन में पारदर्शिता और शुचिता कायम रहे इस हेतु यह सदन सदैव से सजग रहा है । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 3 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 1 सूचना ग्राह्य हुई । इस सत्र में 3 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 1 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुआ । इस सत्र में 2 शासकीय संकल्प भी लिए गये जो स्वीकृत हुये ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तोला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जनकल्याण की योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु कृत-संकल्पित हैं। इस सत्र में कुल 161 स्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से एक ही विषय पर प्राप्त 39 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर ग्राह्यता की सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 120 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 68 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 सूचनाएं ग्राह्य व 34 सूचनायें अग्राह्य रहीं।

तृतीय विधान सभा के इस एकादश सत्र में कुल 320 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 57 सूचनाएं ग्राह्य व 248 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। इस सत्र में कुल 06 विधेयक लाए गए और पारित हुए। इस सत्र में कुल 04 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये। वहीं 13 याचिकाएं भी सदन पटल पर रखी गईं। विधान सभा की विभिन्न समितियों के 14 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

उपरोक्त आंकड़ों से इस सत्र के संपादित कार्यों की पुष्टि होती है और इन सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर इस सत्र को एक सफल सत्र कहा जा सकता है। अर्थात हाऊस का बिजनेस संतोषजनक रहा।

यह सत्र सभी मायनों में सफल रहा और इसकी सफलता का श्रेय सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं सभी सदस्यों को जाता है। जिन्होंने संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के पालन का अद्वितीय उदाहरण अपने कार्यकरण से प्रस्तुत कर इस सत्र को निर्विघ्न सफल होने में अपना अधिकतम सहयोग दिया।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में

आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता-पूर्वक परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है, तद्नुसार आगामी बजट सत्र फरवरी के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आने वाले नववर्ष की अनन्य शुभकामनाएं आपको एवं आपके माध्यम से प्रदेश वासियों को देता हूँ कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिये मंगलकारी हो, साथ ही यह आवाह्न करना चाहता हूँ कि आईए! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री एवं श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये।

10. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

रात्रि 7.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा